Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

फा.सं.सी-42/2011-एमपीलैड्स (पार्ट-II)   Dated 06.10.2016

सेवा में,

(1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम

(2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः विकलांग व्यक्तियों को एमपीलैड्स के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता ।

महोदय/महोदया,

एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.28 में प्रावधान है कि पात्र अक्षम विकलांग व्यक्तियों को तिपहिया साइकिलें (मैनुअल/बैटरी संचालित/मोटरयुक्त), व्हीलचेयर (मोटरयुक्त/बैटरी संचालित) और कृत्रिम अंग खरीदने के लिए सहायता दी जा सकती है । इस प्रकार के उपकरणों के लिए कुल सहायता 10 लाख रु. प्रतिवर्ष तक सीमित थी ।

2. एमपीलैड्स में दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित विकलांग व्यक्तियों संबंधी आवश्यक वस्तुओं को शामिल करने तथा सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता को प्रति सांसद प्रतिवर्ष 10 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.28 को निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाए:

> **3.28 विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एमपीलैड्स निधियों का उपयोग:** सांसद विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से अपने एमपीलैड्स कोष से हर वर्ष अधिकतम 20 लाख रु. की सिफारिश कर सकते हैं । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगता मामले विभाग के दिनांक 23.07.2014 के का.ज्ञा. सं.4-2(7)/2014/डीडी-I और दिनांक 20.10.2014 के का.ज्ञा. सं.4-2(8)/2014/डीडी-I पात्र विकलांग व्यक्तियों संबंधी (अनुबंध-I) के अनुसार इस प्रकार की सहायता केवल तिपहिया साइकिलें (मैनुअल/बैटरी संचालित/मोटरयुक्त), मोटरयुक्त/बैटरी संचालित व्हीलचेयर और

दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए अनुमोदित कृत्रिम अंगों तथा सहायक/ उपकरणों की खरीद के लिए दी जाएगी ।

एक माननीय सांसद द्वारा कृत्रिम अंग इत्यादि के लिए किसी एक व्यक्ति को अनुदान दिया जा सकता है और अन्य माननीय सांसदों द्वारा उसी एक व्यक्ति को पुनः अनुदान नहीं दिया जा सकता । एमपीलैड्स के अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा किसी एक व्यक्ति को दिए जाने वाले अनुदान को मिलाया जाना अनुमत्य नहीं है ।

3. दिशानिर्देशों के अनुबंध-IIक के क्र.सं. 3 में विकलांग व्यक्तियों हेतु वित्तीय सहायता संबंधी प्रक्रिया दी गई है । दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित व्यक्तियों संबंधी सहायता को भी इस पैरा में शामिल किया गया है । इसे निम्नलिखित अनुसार पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है:

(पैरा 3.28) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एमपीलैड्स निधियों का उपयोग: सांसद विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से अपने एमपीलैड्स कोष से हर वर्ष अधिकतम 20 लाख रु. की सिफारिश कर सकते हैं । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगता मामले विभाग के दिनांक 23.07.2014 के का.ज्ञा. सं.4-2(7)/2014/डीडी-I और दिनांक 20.10.2014 के का.ज्ञा.सं.4-2(8)/2014/डीडी-I पात्र विकलांग व्यक्तियों संबंधी (अनुबंध-I) के अनुसार इस प्रकार की सहायता केवल तिपहिया साइकिलें (मैनुअल/बैटरी संचालित/मोटरयुक्त), मोटरयुक्त/बैटरी संचालित व्हीलचेयर और दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए अनुमोदित कृत्रिम अंगों तथा सहायक/ उपकरणों की खरीद के लिए दी जाएगी । इस प्रकार की सहायता संबंधी सभी आवेदनों की उचित पात्रता सुनिश्चित करने के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन एक समिति द्वारा इनकी जांच और अनुमोदन किया जाएगा । इस प्रकार के पात्र व्यक्तियों के चयन में जिला प्राधिकारी पूर्ण रूप से शामिल होगा । समिति, इसकी दर संबंधी व्यवहार्यता को भी प्रमाणित करेगी । कोई भी नगद अनुदान अनुमत्य नहीं होगा, वस्तुएं प्राप्त की जाएंगी और पात्र विकलांग व्यक्तियों को एक सार्वजनिक समारोह में प्रदान की जाएंगी ।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(डी. साई बाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रति:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल सचिव/मुख्य सचिव
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।